न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –23/2020 (Bank Case)

"एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेंन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान मे स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. बंटी सेन पुत्र श्री अशोक कुमार सेन (ऋणी–बंधककर्ता)
   पता– प्लॉट नं0 247, सचिवालय नगर, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान
   दूसरा पता– प्लॉट नं0 83/87, सिद्वार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान
   तीसरा पता– शॉप नं. बी–56, सिटी मॉल (ग्राउण्ड फ्लोर), प्लॉट नं0 ए–47, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड नं0–3, झालावाड रोड, जिला कोटा, राजस्थान
2. श्री पवन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार सेन (सहऋणी)
   पता– प्लॉट नं0 247, सचिवालय नगर, मालवीय नगर, जयपुर, राज0
3. श्रीमती प्रीति सेन पत्नी श्री बंटी सेन (सहऋणी)
   पता– प्लॉट नं0 247, सचिवालय नगर, मालवीय नगर, जयपुर, राज0

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित–श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेंन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान मे स्थित है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.09.2019 को रूपये 5,50,000/–(अक्षरेः रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति बंटी सैन पुत्र श्री अशोक कुमार सैनी की सम्पत्ति–शॉप नं0 बी–56, सिटी मॉल (ग्राउण्ड फ्लोर), प्लॉट नं0 ए–47, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड नं0–3, झालावाड रोड, जिला बांरा राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 299.25 वर्ग फुट है (जर्ये सेल डीड कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय, कोटा रसीद नं0 2016000642 दिनांक 24.02.2016) एवं चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में रिटेनिंग वॉल, पश्चिम में कोरिडोर, उत्तर में शॉप नं0 बी–57, दक्षिण में शॉप नं0 बी–55 हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 4,28,915/– (अक्षरे रूपये चार लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.07.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र **"The Indian Express"** एवं हिन्दी समाचार पत्र **"दैनिक नवज्योति"** में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र **"The Indian Express"** एवं हिन्दी समाचार पत्र **"दैनिक नवज्योति"** में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र **"The Indian Express"** एवं हिन्दी समाचार पत्र **"दैनिक नवज्योति"** में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति बंटी सैन पुत्र श्री अशोक कुमार सैनी की सम्पत्ति–शॉप नं0 बी–56, सिटी मॉल (ग्राउण्ड फ्लोर), प्लॉट नं0 ए–47, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड नं0–3, झालावाड रोड, जिला बांरा राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 299.25 वर्ग फुट है (जर्ये सेल डीड कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय, कोटा रसीद नं0 2016000642 दिनांक 24.02.2016) एवं चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में रिटेनिंग वॉल, पश्चिम में कोरिडोर, उत्तर में शॉप नं0 बी–57, दक्षिण में शॉप नं0 बी–55 हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner